International Journal of Education and Science Research Review
ISSN 2348-6457
www.ijesrr.org April- 2017, Volume-4, Issue-2 Email- editor@ijesrr.org

# पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण शिक्षा

**अन्जू रानी**
शोधार्थिनी
वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला

**डॉ0 ऋतु भारद्वाज**
शोध निर्देशिका
वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला

## प्रस्तावना

शिक्षा विकास की प्रक्रिया है तथा पर्यावरण में आन्तरिक तथा वाह्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मनुष्य तथा अन्य जीवों की अभिवृत्ति तथा विकास को प्रभावित करतो हैं। प्रत्येक जीव तथा प्राणी का अपना पर्यावरण होता है। मानव का पर्यावरण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक होता है, शिक्षा द्वारा इनकी गुणवत्ता के लिए परिवर्तन तथा सुधार भी किया जाता है। जिससे बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके।

पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को ऐसे अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिससे पर्यावरण का अवबोध, समझ, कौशल तथा जागरूकता प्राप्त करके अपेक्षित अभिवृत्तियों को विकसित कर सके और प्राकृतिक तथा मानवकृत परिस्थितियों में सम्बन्ध स्थापित कर सकें। पर्यावरणीय शिक्षा का लक्ष्य मानव और पर्यावरण के बीच सम्बन्धों की व्याख्या करना है जिससे लोग अपने आस–पास के पर्यावरण के महत्व को ठीक से समझ सकें तथा अपने पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए प्रेरित हों। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बालका में व जन सामान्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता व सचेष्टता पैदा करना है, जिससे उनमें पर्यावरण के विभिन्न अवयवों के प्रति आत्मीय सम्बन्धों के मनोभावों का विकास हो तथा उनमें पर्यावरण संरक्षक का दायित्व बोध विकसित हो।''

जीव अपने पर्यावरण पर निर्भर करते ह और अपना पर्यावरण बनाते भी है तथा पर्यावरण से अनुकूलन भी करते हैं। किसी पर्यावरण विशेष के साथ अनुकूलन रखने पर जीवधारियों का जीवन सम्भव होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन असम्भव हो सकता है। कल का भौतिक मानव आज आर्थिक मानव बन गया है आधुनिक मानव की आत्मघाती प्रवृत्ति एवं उपभोगवादी संस्कृति के कारण मानव व प्रकृति के बीच सम्बन्ध बिगड़ रहा है। वर्तमान भोगवादी सभ्यता ने जीवन एवं प्रकृति के प्रति मानव दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन ला दिया है। आज का आर्थिक मानव प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर प्रकृति का अनियोजित, अवैज्ञानिक एवं निर्मम विदोहन कर पृथ्वी पर सभी जीवों के विनाश का भय उत्पन्न कर दिया है। जल, वायु और वनस्पति जैसी मानव अस्तित्व की आधारभूत आवश्यकताएं आज दूषित और विकारपूर्ण हो चुकी हैं। अधिकतर क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता क संकेतकों में गिरावट आई है, चाहे ऊर्जा सम्बन्धी मानदण्डों का सवाल हो, उपकरणों के मानदण्ड का सवाल हो, उत्सर्जन या कचरे के निपटान के मानदण्डों का सवाल हो या अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी अपनाये जाने पर सवाल हो, बहुत से प्रेक्षकों का मानना है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और कानून कारगर नहीं हुए हैं। पुनर्चक्रण के बावजूद भूमि को हानिकारक अवशेषों के द्वारा भरा जा रहा है और परिस्थितिकीय तन्त्र को नष्ट किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुभव है कि यदि पर्यावरण में निरन्तर बढ़ते प्रदूषण को तेजी से कम करने का प्रयास नहीं किया गया तो 21वीं सदी के अन्दर ही महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विश्व की आज एक बड़ी समस्या पर्यावरण को स्वच्छ और जीवनोपयोगी बनाने की है। अब यह आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण के विभिन्न पक्षों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाये ताकि प्रौद्योगिक स्तर पर अति विकसित 'आर्थिक मानव' एवं पर्यावरण के बीच अन्तरक्रियाओं तथा पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण की प्रक्रियाओं को भली–भांति समझा जा सके, परिस्थितिकीय संसाधनों का समुचित मूल्यांकन किया जा सके, पर्यावरण के प्रभावों का सही आकलन हो सके, प्रदूषण के निवारण के लिए समुचित कार्यक्रम एवं रणनीतियाँ बनायी जा सकें तथा स्थानीय, प्रादेशित एवं विश्व स्तरों पर परिस्थितिकीय संतुलन एवं परिस्थितिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सके।

क्षेत्रीय एवं संघीय सरकारी विद्यालयों एवं सक्रिय समूहों द्वारा जनता को पर्यावरणीय समस्या की शिक्षा देने के समस्त प्रयासों के बावजूद इस ग्रह (पृथ्वी) पर पर्यावरणीय समस्या यथावत बनी हुई है। लेकिन इस समस्या का समाधान केवल शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। आज एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो विद्यार्थियों में न केवल वातावरण बोध विकसित करे वरन उसे पर्यावरण संरक्षण व सुधार हेतु सक्रिय योगदान प्रदान करने हेतु प्रेरित करें। पर्यावरणीय सक्रियता तथा पर्यावरणीय महाविनाशक स्थिति पर्यावरणीय व्यवहार से सम्बन्धित है, इसलिए पर्यावरणीय सूचनाएं व

पर्यावरणीय ज्ञानार्जन व्यवहार को बहुत कम प्रभावित कर सके हैं। पर्यावरणीय व्यवहार बदलने के लिए व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में अधिक ज्ञान एवं सूचनाएँ दिये जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा के द्वारा विविध प्रकार की समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान किया जाता है। अधिकांश समस्यायें छात्रों तथा पर्यावरण से सम्बन्धित होती हैं। शिक्षक उनका समाधान औपचारिक तथा अनौपचारिक ढंग से करता है साथ ही पर्यावरण को समझने में ठोस हल देता है। शिक्षा के द्वारा भावी नागरिकों में ऐसे ज्ञान, अवबोध, कौशल तथा अभिवृत्तियों का समावेश किया जाता है। जो उन्हें अपने अपने वैज्ञानिक सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्वों को सफलतापूर्वक करने योग्य बना सकते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा प्रदान करने के मुख्यतः दो माध्यम हैं–ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं। शहरी शिक्षा प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में एक नवचार, एक नई प्रवृत्ति एवं एक नये विकल्प के रूप में विगत कुछ दशकों में तेजी से प्रचलित हुआ है। शहरी शिक्षा प्रणाली में अध्यापक तथा छात्र एक दूसरे से विलग रहते हैं। अध्यापक विभिन्न प्रकार की सूचना सम्प्रेषण माध्यमों से छात्रों तक ज्ञान पहुँचाता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो समय–समय पर परामर्श कक्षाओं का आयोजन कर छात्रों की समस्याओं को दूर किया जाता है।

पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने तथा उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु पर्यावरण शिक्षा को शैक्षिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग समझा गया है। पिछले तीन दशकों से पर्यावरण शिक्षा के लिए विभिन्न क्रियाओं को बढ़ावा दिया गया है। भारत के विद्यालयों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृति के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण शिक्षा को विश्वव्यापी अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। अलग–अलग साहित्य विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा व्याख्यानों को मुद्रित कापियाँ भी वितरित करने का प्रावधान है। शिक्षकों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों को आयोजित कर प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है।

'पर्यावरणीय शिक्षा का केन्द्र बिन्दु पर्यावरणीय ज्ञान को बढ़ाकर पर्यावरणीय व्यवहार में परिवर्तन लाना है।' पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की पहचान करना एवं सम्बद्ध समस्याओं का समाधान करते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय व्यवहार उत्पन्न करता है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य जैव भौतिकीय वातावरण एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सज्ञान एवं नागरिकता उत्पन्न करना है जो यह जागरूकता विकसित करेगा कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाये तथा इन समस्याओं के हल की ओर उत्प्रेरित करना। इवान्स आदि ने माना कि 'पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत करना है'।

**पर्यावरण संरक्षण**

सन् 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और इसके संरक्षण पर एक विश्व आयोग गठित किया। इस आयोग में 20 मार्च 1987 को अपना प्रतिवेदन 'आवर कामन फ्यूचर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। इस आयोग के प्रतिवेदन के बारहवें अध्याय में पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु कानून बनाने की आवश्यता पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून बनाकर ही पर्यावरण असन्तुलन को दूर करने में सहायता मिल सकती है। यूँ तो इस सन्दर्भ में जन जागरण का व्यापक महत्व है किन्तु कानून होने से जन जागरण अभियान को भी बल मिलेगा और अनुकूल परिणाम निकलेंगें।

सन् 1860 की भारतीय दण्ड संहिता में एक संशोधन कर धारा 278 के अनुसार वायुमण्डल में प्रदूषण फैलाना एक दण्डनीय कृत्य माना गया। बंगाल स्मोक न्यूसेन्स एक्ट (1905), वायलर्स एक्ट (1923), फैक्ट्रीज एक्ट (1948), रिवर बोर्ड एक्ट (1956), एटोमिक एनर्जी एक्ट (1962) आदि ऐसे कानून बनाये गये। देश में प्रदूषण नियन्त्रण के कार्यान्वयन की सर्वोच्च संस्था 'केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड' की स्थापना जल–प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम (1974) के अधीन सितम्बर 1974 में की गयी। 1977 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम पारित किया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम (1981) तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम (1986) ने मिलकर केन्द्रीय बोर्ड के कार्य क्षेत्र को व्यापक बना दिया। सन् 1989 में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन कानून भी बनाये गये जिसमें खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट के उपयोग तथा विसर्जन से सम्बन्धित निर्देश हैं। खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं से बढ़ते खतरे एवं दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर लोक दायित्व बीमा अधिनियम (1991) लागू किया गया।

भारतीय संविधान के भाग 4 एवं 4क में पर्यावरण के महत्व को स्थान दिया गया ह। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 43क में राज्य के लिए वनस्पति सम्पदा एवं अन्य वन्य जीव सम्पत्ति की सुरक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। अनुच्छेद 51क में नागरिकों के लिए अपनी प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी दी गयी है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268, 269, 272, 278, 284, 290, 298 तथा 426 में न्यूसेन्स व प्रदूषण के बारे में दण्डात्मक प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में कई प्रकार के न्यूसेन्स एवं प्रदूषण को रोकने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से स्पष्ट घोषणा की गयी है कि जन सामान्य के स्वास्थ्य पर जिन कार्यों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो राज्य का यह दायित्व है कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिये गये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन एवं ऐसे कार्यो को संविधान का उल्लंघन मानते हुए तत्काल यथोचित कार्यवाही करें।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुर्जर, राजकुमार व जाट, बी.सी. (2002), *मानव एवं पर्यावरण*, जयपुर पंचशील प्रकाशन, 37–40।
2. झा, ए.के. (2010), मूल्यपरक शिक्षा एवं पर्यावरणीय संचेतना, अभिनव, सीमेट, (52), 35–41।
3. पंत, पी.के. (2003), *भारत और विश्व, नई दिल्ली :* राष्ट्रीय शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषद।
4. बनर्जी, शुभंकर (1996) पर्यावरण की रक्षा के लिए जन आन्दोलन आवश्यक कुरूक्षेत्र, 14–17।